विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0024212

चीफ जनरल मैनेजर, — **आवेदक**
साउथ ईस्ट्रन कोलफील्ड लिमि0 जे0एण्ड के0 एरिया,
पोस्ट – जमुना – कोटमा एरिया,
जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
पिन कोड – 484444

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (वाणिज्य),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

— **अनावेदकगण**

मुख्य यंत्री (रीवा क्षेत्र),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रीवा (म.प्र.) – 486001

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शहडोल (म.प्र.) – 484771

आदेश
(दिनांक 25.06.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक 163/2011 चीफ जनरल मैनेजर, साउथ ईस्ट्रन कोलफील्ड लिमि0 जे0 एण्ड के0 एरिया, पोस्ट – जमुना कॉलोनी, जिला – अनूपपुर (म.प्र.) विरूद्ध मुख्य यंत्री तथा अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अंतरिम अंकेक्षण दल द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर उसके द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के देयकों का पुनरीक्षण कर उसे दिनांक 26.03.2010

तथा 24.04.2010 को रू. 30782193 का पुनरीक्षित देयक जारी किया गया था, जबकि अंकेक्षण दल ने भौतिक सत्यापन किए बिना उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर यह निष्कर्ष दिया था कि उपभोक्ता के द्वारा स्वीकृत भार से अधिक 35.28 प्रतिशत भार का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जबकि उपभोक्ता द्वारा टैरिफ अनुसूची – एच.वी. – 6 के प्रावधानों के अनुसार गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत सीमाओं के अन्तर्गत ही भार का उपयोग किया जाता था । उपभोक्ता के द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से भार की संगणना हेतु संयुक्त निरीक्षण की मांग की गई थी, परन्तु संयुक्त निरीक्षण कर तथा वास्तविकता की जानकारी प्राप्त किए बिना अनावेदक द्वारा उसे प्रश्नगत देयक में वर्णित राशि जमा करने का आदेश दिया गया है जो विधिसंगत न होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

3. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपभोक्ता की उक्त शिकायत का प्रतिवाद मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि उपभोक्ता ने 2000 केवीए भार के अतिरिक्त 400 केवीए भार बढ़ाने के लिए जो आवेदन दिया था उस आवेदन के साथ भार की जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा 35.28 प्रतिशत भार का उपयोग गैर–घरेलू/वाणिज्यिक एवं सामान्य प्रयोजन हेतु बताया गया था जो 10 प्रतिशत की एच.वी. – 6 टैरिफ में वर्णित सीमा से अधिक था । अतः टैरिफ नियमों के अनुसार उसे पूरक देयक नियमानुसार जारी किया गया था । उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण दिनांक 01.07.11, 04.07.11 एवं 02.08.11 को किया गया था, जिसके अनुसार उपभोक्ता का गैर–घरेलू सम्बद्ध भार 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाया गया था, अतः उपभोक्ता उक्त विवादित राशि अदा करने के लिए उत्तरदाई है ।

4. उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् फोरम ने अपने आदेश की कण्डिका VI में यह निष्कर्ष दिया है कि : – ***"टैरिफ आदेश दिनांक 16.04.07 में एच.व्ही. 6 टैरिफ के अन्तर्गत वाटर सप्लाई, सेवेज पम्पिंग एवं अस्पताल हेतु भार की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं, लेकिन गैर घरेलू प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत सीमा निर्धारित है ।***

पत्र क्र0 एसईसीएल/जीएम/जेके/ईएंडएम/एमपीएसईबी/06/670 दिनांक 09.11.06 जो वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया, में विद्यमान लोड का विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) <u>घरेलू तथा वाटर सप्लाई एवं हास्पिटल का भार</u> :

वाटर सप्लाई – 400 कि0वाट, हास्पिटल – 100 कि0वाट, रेसीडेंसियल लोड – 1280 कि0वाट (नो लिमिट)

(ब) गैर घरेलू एवं अन्य :

स्कूल 100 कि0वाट, क्लब – 50 कि0वाट, व्ही.आई0पी0 गेस्ट हाउस – 100 कि0वाट, सहकारी समिति – 50 कि0वाट, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस – 50 कि0वाट, सड़कबत्ती – 50 कि0वाट (कुल 400 कि0वाट)

कुल लोड (अ+ ब) = 1280 + 500 + 400 = 2180 कि0वाट

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.11.06 से यह निर्विवादित तथ्य है कि तत्समय वादी के प्रतिष्ठान में निम्नानुसार कुल संयोजित 2180 कि0वाट भार के 10 प्रतिशत अर्थात् 218 कि0वाट से अधिक भार 400 कि0वाट गैर घरेलू प्रयोजन हेतु संयोजित था । अतः स्पष्ट है कि टैरिफ एच0व्ही0 – 6 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है ।

लेकिन म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 7.24 में लेख है कि संयोजित भार या टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये गये संशोधन तब ही मान्य हैं, जब उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ऐसे संशोधनों के लिए सहमत हैं तथा इन संशोधनों को अनुबंध में समाहित करने के लिए पूरक अनुबंध निष्पादित किया हो ।

प्रस्तुत प्रकरण में मान0 आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में ***Bulk Residential*** *कंज्यूमर हेतु लागू टैरिफ एच0वी0 6 के स्थान पर नॉन इंडस्ट्रियल टैरिफ 3.2 लागू करने हेतु वादी सहमत नहीं है । अतः एच0व्ही0 6 टैरिफ के स्थान पर एच0व्ही0 3.2 टैरिफ अधिरोपित करना वैधानिक नहीं है ।''*

5. इसके अतिरिक्त फोरम के आदेश की कण्डिका – VII में यह निष्कर्ष दिया गया है कि : – *''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में सामान्यतः सभी श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुबंधित मांग/उच्चतम मांग के अनुरूप बिलिंग डिमान्ड की गणना की जाती है, लेकिन* ***Bulk Residential users*** *श्रेणी हेतु अलग टैरिफ सृजित होने से अधिकतम मांग के अतिरिक्त वाणिज्यिक/गैर घरेलू भार की सीमा कुल संयोजित भार के अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है अर्थात् 10 प्रतिशत संयोजित गैर घरेलू भार हेतु कोई बिलिंग प्रभारित नहीं है । लेकिन टैरिफ आदेश में उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य शर्तों के अधीन कंडिका* ***"Addl. Charges for excess demand"*** *के अंतर्गत निर्धारित मांग से अधिक भारवृद्धि हेतु बिलिंग किए जाने हेतु प्रावधान है जिसे इस विशेष टैरिफ हेतु गैर घरेलू भार के अधिक होने पर लागू किया जा सकता है ।*

अतः वादी परिसर में वाणिज्यिक भार कुल भार का 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में सामान्य शर्तों के अंतर्गत निम्नानुसार दण्डात्मक बिलिंग की जावें ।

टैरिफ आदेश एच0वी0 – 6 में उल्लेखित आदेश अनुसार ***Bulk Residential users*** *हेतु लागू टैरिफ एच0वी0 – 6 के अंतर्गत 10 प्रतिशत अर्थात 218 कि0वाट वाणिज्यिक एवं गैर घरेलू भार अधिकृत है एवं इससे अधिक अर्थात् 400–218 = 182 कि0वाट भार अनुबंध एवं टैरिफ आदेश अनुसार अधिक है । अतः 182 कि0वाट अधिक संयोजित गैर घरेलू (वाणिज्यिक भार हेतु) समय–समय पर प्रभारित एच0वी0 टैरिफ के अनुसार बढ़े हुए (Excess) अधिक भार हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप दण्डात्मक बिलिंग की जावें ।''*

6. फोरम ने यह भी आदेश किया है कि उसके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में पुनरीक्षित दण्डात्मक बिलिंग किए जाने के पश्चात अनावेदक द्वारा उपरोक्त अवधि हेतु की गई बिलिंग को निरस्त किया जाए । इसके अतिरिक्त अनावेदक मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा ।''

7. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर उपभोक्ता को जारी देयक को वैधानिक न होने का निष्कर्ष फोरम द्वारा दिया गया है जो उचित है, परन्तु उपभोक्ता से दण्डात्मक बिलिंग किए जाने का जो आदेश फोरम द्वारा दिया गया है वह आदेश विधिसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा आदेश देने के लिए फोरम सक्षम नहीं है, अतः फोरम का उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

8. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि फोरम के निर्देश के अनुसरण में दिनांक 01.07.11, 04.07.11 एवं 02.08.11 को उपभोक्ता के परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसके अनुसार उपभोक्ता का गैर–घरेलू सम्बद्ध भार 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाया गया था । अतः उपभोक्ता को जो देयक जारी किया गया है वह सही है तथा देयक में वर्णित राशि उपभोक्ता अदा करने के लिए उत्तरदाई है । यदि उपभोक्ता को सम्बद्ध भार का 35.28 प्रतिशत भार का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया जाना न माना जाए तो फोरम को शिकायत लंबित रहने के दौरान किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर उसके गैर–घरेलू सम्बद्ध भार जो कि 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, के आधार पर उपभोक्ता से दण्डात्मक बिलिंग की जा सकती है, अतः उपभोक्ता से दण्डात्मक बिलिंग किए जाने का जो आदेश फोरम द्वारा दिया गया है वह विधिसंगत है ।

9. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रश्नगत् आदेश के विरूद्ध दिनांक 17.07.12 को उपभोक्ता की ओर से विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व दिनांक 13.04.12 को अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 5.3

के प्रावधानों के अनुसार फोरम के आदेश के विरूद्ध विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र के संबंध में विद्युत नियामक आयोग के आदेश की जानकारी आयोग के सचिव के पत्र दिनांक 17.04.2013 के द्वारा विद्युत लोकपाल को दी गई है । नियामक आयोग के उक्त आदेश की जानकारी होने के बाद ही प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है ।

10. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –**

(1) क्या अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अंकेक्षण दल द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.02.2010 के द्वारा उपभोक्ता से स्वीकृत भार से अधिक गैर घरेलू/वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोजन हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किए जाना पाए जाने का जो निष्कर्ष दिया है वह विधिसंगत है तथा क्या उक्त निष्कर्ष के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की राशि वसूल की जा सकती है ?

(2) क्या विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर को यह अधिकार है कि वह अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को किसी परिसर का भौतिक निरीक्षण हेतु दिशा–निर्देश जारी करें तथा क्या ऐसे दिशा–निर्देश के अधीन किए गए भौतिक निरीक्षण के परिणाम के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की राशि वसूल की जा सकती है ?

(3) क्या फोरम को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता के विरूद्ध इस आशय का निर्देश जारी करें कि उपभोक्ता से दण्डात्मक बिलिगं की जाए ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है–

11. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विवेचन** : अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा आवेदक/उपभोक्ता को दिनांक 26.03.10 को इस आशय का पत्र लिखा गया कि उसका कनेक्शन क्रमांक 45–54 में एजी ऑडिट ग्वालियर द्वारा रिकवरी निकाली गई है, अतः वह 307.82 लाख रू. विद्युत ऊर्जा के देयक के रूप में जमा करें । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा इसी राशि का देयक उपभोक्ता को जारी किया गया तथा इसी देयक के संबंध में उपभोक्ता की ओर से आपत्ति की गई है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से जारी उक्त पत्र तथा देयक का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उक्त संशोधित देयक एजी ऑडिट ग्वालियर द्वारा निकाली गई रिकवरी के आधार पर जारी किया गया है । फोरम के समक्ष एजी ऑडिट ग्वालियर द्वारा निकाली गई रिकवरी से संबंधित पत्र को प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु उपभोक्ता का अभ्यावेदन लंबित रहने के दौरान अनावेदक को ऐसे पत्र को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । अनावेदक की ओर से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक) ऑडिट

भवन, ग्वालियर का पत्र दिनांक 05.02.10 जो कि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर को संबोधित है, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । उक्त पत्र के साथ Factual Statement संलग्न किया गया है । आडिट आफिसर के द्वारा जारी उक्त प्रपत्रों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आडिट दल ने निरीक्षण में यह पाया था कि उपभोक्ता ने 2000 केवीए से 2400 केवीए संयोजित भार बढ़ाए जाने का जो आवेदन दिया था उस आवेदन के साथ भार की जो जानकारी उसने प्रस्तुत की थी उसके अनुसार उपभोक्ता के द्वारा गैर घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से कुल संयोजित भार के 10 प्रतिशत से अधिक भार का उपयोग किया जा रहा है । आडिट की उक्त आपत्ति का आधार उपभोक्ता की ओर से दी गई भार की जानकारी थी जो उसने 2000 केवीए भार से 2400 केवीए भार बढ़ाए जाने के आवेदन के साथ संलग्न किया था ।

12. उपभोक्ता ने अपने पत्र क्रमांक 670 दिनांक 09.11.06 के द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि उसका स्वीकृत भार 2000 केवीए है, जिसे बढ़ाकर 2400 केवीए किया जाए । इस आवेदन के साथ भार की जानकारी दी गई थी । इस जानकारी के अनुसार Existing तथा Additional load की पृथक–पृथक जानकारी दी गई थी, जिसके अनुसार Existing Laod 2180 KW तथा Additional Load 616 KVA बताया गया था । ऑडिट दल ने अपने Factual Statement में उपभोक्ता द्वारा दी गई इसी जानकारी के आधार पर यह कहा था कि उपभोक्ता का कुल संविदा भार 625 KW है, अतः कुल संयोजित भार से 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक भार का उपयोग उसके द्वारा गैर घरेलू प्रयोजन के लिए किया जा रहा है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर उसका भार 2000 से 2400 किए जाने पर पक्षकारों के मध्य जो संविदा हुई थी उसमें उपभोक्ता का भार केवल 400 केवीए बढ़ाया गया था, जबकि उपभोक्ता ने अतिरिक्त भार के संबंध में जो जानकारी प्रस्तुत की थी उसके अनुसार उसका वह भार 616 केवीए था ।

13. आडिट रिपोर्ट की आपत्ति, उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न भार का विवरण–पत्रक और संविदा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आडिट दल ने कुल संयोजित भार और संभावित भार को समझने में भूल की थी । उपभोक्ता ने 616 केवीए अतिरिक्त भार की जानकारी दी थी, इसका अर्थ यह नहीं था कि उसके द्वारा ऐसे भार का उपयोग किया जा रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन पत्र के साथ भार की जो जानकारी उपभोक्ता द्वारा दी गई थी वह संभावित भार था न कि कुल संयोजित भार । इस तथ्य का समर्थन इस बात से भी होता है कि उपभोक्ता द्वारा भार की जो जानकारी दी गई थी और जिस भार को Existing बताया गया था उसमें बी – खण्ड

में जो जानकारी दी गई है वही जानकारी संभावित भार में भी शब्दों के हेरफेर के साथ है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भार की जो जानकारी दी गई थी उससे यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है कि उपभोक्ता का कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत मात्रा से अधिक भार का उपयोग गैर घरेलू प्रयोजन के लिए कर रहा है ।

14. टैरिफ अनुसूची – एच.वी. – 6 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि औद्योगिक अथवा अन्य टाउनशिप के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय हेतु लागू होगी बशर्ते यह है अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार, गैर घरेलू प्रयोजन हेतु कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत होगा । उक्त सीमा का निर्धारण उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर से अथवा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता है । उपभोक्ता गैर घरेलू प्रयोजन हेतु जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा से अधिक भार का उपयोग वह कर रहा है इस तथ्य का निर्धारण भौतिक निरीक्षण किए जाने के बाद ही किया जा सकता है और यदि निरीक्षण करने पर उपभोक्ता ऐसा करते हुए पाए जाए तो विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु अंकेक्षण दल ने प्रतिवेदन देने के पूर्व उपभोक्ता को प्रदान किए गए कुल संयोजित भार और उस भार में गैर घरेलू भार का प्रतिशत निकालने के लिए कोई भौतिक निरीक्षण नहीं कराया था और ऐसे भौतिक निरीक्षण कराए बिना ही केवल दस्तावेजों के आधार पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी ।

15. आडिट दल द्वारा की गई आपत्ति के पश्चात् अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के वह अधिकारी जिन्होंने उपभोक्ता से की गई संविदा में हस्ताक्षर किए थे और जो इस तथ्य के लिए उत्तरदाई थे कि वह इस बात की सत्त जांच करते की उपभोक्ता द्वारा टैरिफ अनुसूची एच.वी. – 6 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संयोजित भार की सीमाओं के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं, का यह दायित्व था कि वह उपभोक्ता को देयक जारी करने के पूर्व मौके का भौतिक निरीक्षण करते और इसके बाद उपभोक्ता को उत्तरदाई पाए जाने पर उसे देयक जारी किया जाता, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के ऐसे किसी उत्तरदाई अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को प्रश्नगत देयक जारी किए जाने के पूर्व भौतिक निरीक्षण किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई थी तथा उपभोक्ता द्वारा ऐसे देयक पर आपत्ति किए जाने पर भी भौतिक निरीक्षण करने का कोई प्रयास उपभोक्ता की ओर से शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत पेश करने के पूर्व तक नहीं किया गया था ।

16. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के आडिट दल द्वारा आडिट में जो आपत्तियां की गई थी उन आपत्तियों के आधार पर उपभोक्ता को जारी किया गया देयक विधिसंगत नहीं था इस तथ्य को फोरम ने

अपने आदेश की कण्डिका – VI के के पहले भाग में माना है और इसीलिए यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को एच.वी. – 6 टैरिफ के स्थान पर एच.वी. – 3.2 टैरिफ अधिरोपित करना वैधानिक नहीं है ।

17. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य सन्देह से परे साबित पाया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अंकेक्षण दल द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.02.10 के द्वारा उपभोक्ता को स्वीकृत सीमा से अधिक गैर घरेलू प्रयोजन हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग किए जाने का जो निष्कर्ष दिया है वह विधिसंगत नहीं है तथा उक्त निष्कर्ष के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की वसूली नहीं की जा सकती है । **अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विनिश्चिय उपभोक्ता के पक्ष में सकारात्मक निर्णीत किया जाता है ।**

18. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 2 का विवेचन** : अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिकारी ने तर्क के दौरान इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के अनुसरण में आवेदक/उपभोक्ता के परिसर का स्थल निरीक्षण किए जाने पर उपभोक्ता द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाना पाया गया था । यह मात्रा कुल संयोजित भार का 17 प्रतिशत थी, जबकि निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत है, इस कारण उपभोक्ता द्वारा टैरिफ अनुसूची एच.वी. – 6 का उल्लंघन किया जाना साबित होता है और उसे दण्डात्मक बिलिंग की जा सकती है ।

19. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का जवाब उपभोक्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर दिया गया है कि कथित भौतिक निरीक्षण उपभोक्ता की प्रतिनिधि की उपस्थिति में नहीं किया गया है, अतः ऐसा निरीक्षण वैध नहीं है और ऐसे निरीक्षण के आधार पर उपभोक्ता के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

20. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश–पत्र का अवलोकन किया गया । शिकायत दिनांक 18.04.11 को पंजीबद्ध की गई थी । स्थगित दिनांक 06.05.11 तथा 21.06.11 को स्थल का भौतिक निरीक्षण किए जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था । इसके बाद स्थगित की गई दिनांक 05.07.11 के आदेश–पत्र में यह लेख किया गया है कि उभयपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से परिसर का भौतिक सत्यापन देने हेतु समय देने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अग्रिम तिथि 02.08.11 नियत की गई । इसके बाद स्थगित दिनांक 25.08.11 और आगे के आदेश पत्रों में भौतिक निरीक्षण पेश किए जाने और उनके संबंध में आपत्ति किए जाने का उल्लेख किया गया है ।

21. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 तथा पुनरीक्षित विनियम 2009 की कण्डिका – 3.34 के प्रावधान उक्त विवादित तथ्य के संबंध में समीचीन है जो इस प्रकार है – '' फोरम के सदस्यगण तथा अध्यक्ष न तो

विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा न ही **किसी परिसर के भौतिक निरीक्षण हेतु दिशा–निर्देश जारी करेंगे** अथवा न ही कोई नवीन जांच करेंगे सिवाय ऐसे आपवादिक प्रकरणों में जहां आयोग द्वारा विशिष्ट तौर पर निर्देशित किया जाए ।

22. प्रश्नगत् विनियम की उक्त कण्डिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो विनियम बनाए गए हैं उसमें फोरम के लिए यह स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया गया है कि फोरम किसी परिसर के भौतिक निरीक्षण हेतु दिशा–निर्देश जारी नहीं करेंगे और कोई नवीन जांच नहीं करेंगे । इस मामले में उपभोक्ता के परिसर का भौतिक निरीक्षण किए जाने के संबंध में फोरम द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे वह मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्मित प्रश्नगत विनियम की कण्डिका – 3.34 में किए गए प्रावधानों से सर्वथा विपरीत थे । ऐसा निर्देश दिए जाते समय संभवतः फोरम ने उक्त विनियम के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया था । इस मामले में आयोग द्वारा फोरम को परिसर का भौतिक निरीक्षण कराने के संबंध में निर्देश नहीं दिए गए थे, अतः स्पष्ट है कि आयोग के निर्देश के बिना फोरम को उपभोक्ता के परिसर का संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण किए जाने का दिशा–निर्देश जारी करने तथा नवीन जांच कराने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था । फोरम द्वारा परिसर का संयुक्त रूप से निरीक्षण करने का जो निर्देश दिया गया था वह अधिकार–विहीन था, अतः ऐसे अधिकार–विहीन दिशा निर्देश के अधीन किया गया भौतिक निरीक्षण के परिणाम के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की राशि की वसूली नहीं की जा सकती है । **अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 2 का विनिश्चिय उपभोक्ता के पक्ष में सकारात्मक तथा विद्युत वितरण कम्पनी के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है ।**

23. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 3 का विवेचन** : उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम ने यह निर्देश दिया है कि टैरिफ आदेश एच.वी. – 6 में उल्लेखित आदेश अनुसार थोक आवासीय प्रयोक्ता हेतु लागू टैरिफ एच.वी. – 6 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत अर्थात् 218 किलोवॉट वाणिज्यिक गैर घरेलू भार अधिकृत है एवं इससे अधिक अर्थात् 400–218 = 182 किलोवॉट भार अनुबंध/टैरिफ आदेशानुसार अधिक है, अतः 182 किलोवॉट अधिक संयोजित घरेलू भार/वाणिज्यिक भार हेतु समय–समय पर प्रभार एच.वी. टैरिफ के अनुसार बढ़ाया हुआ अधिक भार हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दण्डात्मक बिलिंग की जावे । फोरम ने उक्त आदेश किस अधिकार के अन्तर्गत किया है यह समझ से परे हैं, क्योंकि फोरम ने अपने आदेश में विधि के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि विधि द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार के तहत फोरम ने प्रश्नगत आदेश किया है, जबकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना हेतु जो

विनियम निर्मित किए गए हैं, इस विनियम की कण्डिका 3.34 (जिसका पूर्व उदाहरण दिया गया है) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि फोरम कोई नवीन जांच नहीं करेगा ।

24. इस मामलें में उपभोक्ता ने विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ऑडिट आपत्ति के आधार पर जारी किए गए देयक की वैधता को फोरम के समक्ष चुनौती दी थी । फोरम को इस तथ्य पर विचार करना था कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत विसिसंगत है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त फोरम को उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में कोई नवीन जांच कराने का निर्देश देने का अधिकार नहीं था । इस संबंध में यदि फोरम द्वारा संबंधित विधि का अवलोकन किया जाता तब शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती ।

25. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 में विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार प्रयोजन जिसके लिए विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत था, से अतिरिक्त प्रयोजन के लिए यदि विद्युत का व्यवहार किया जाए तो ऐसा प्रयोजन विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की परिधि में आता है। उपभोक्ता थोक आवासीय प्रयोक्ता था, उसके द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु 2000 के.वी.ए. का भार स्वीकृत कराया गया था तथा पश्चात्वर्ती प्रक्रम में भार में 400 के.वी.ए. बढ़ाने का आवेदन किया गया था, जिसे अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया था । इस तरह थोक आवासीय प्रयोजन हेतु उपभोक्ता को 2400 के.वी.ए. का कुल संयोजित भार स्वीकृत किया गया था । उक्त कुल संयोजित भार के 10 प्रतिशत भार का उपयोग उपभोक्ता, गैर घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से करने के लिए प्राधिकृत था, परन्तु यदि उपभोक्ता द्वारा कुल संयोजित भार से 10 प्रतिशत अधिक भार का उपयोग गैर–घरेलू प्रयोजन के लिए किया जाना पाया जाता तो ऐसा किया जाना टैरिफ अनुसूची – एच.वी. 6 का उल्लंघन होता । उपभोक्ता द्वारा टैरिफ अनुसूची – एच.वी. 6 का उल्लंघन किए जाना पाए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाकर विद्युत चार्जेंज का अन्तर्कालीन निर्धारण किया जा सकता था और ऐसा करने में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के लिए कोई बाधा नहीं थी और भविष्य में भी विद्युत वितरण कम्पनी के लिए इस प्रावधान के अनुसार कार्यवाही किए जाने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध स्वीकृत सीमा से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग अवैध रूप से किए जाने का निष्कर्ष दिए जाने के बाद विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को संशोधित विद्युत देयक जारी करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारियों द्वारा विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किए जाने की जानकारी होने के बाद भी भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही नहीं की गई है ।

26. उपभोक्ता ने यदि टैरिफ आदेश के उल्लंघन में अप्राकृतिक रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया था तो उसके विरूद्ध विधि के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को अधिकार था, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी देयक की वैधता को चुनौती देने वाले उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय फोरम को यह अधिकार नहीं था कि वह अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को नवीन जांच कराने का निर्देश दें तथा इस जांच के अनुसरण में उपभोक्ता से दण्डात्मक बिलिंग किए जाने का निर्देश दें । फोरम द्वारा ऐसा निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था, **अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 3 का विनिश्चिय उपभोक्ता के पक्ष में सकारात्मक तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है ।**

27. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश दिनांक 30.03.12 के विरूद्ध अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उपभोक्ताओं के शिकायत के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका – 5.3 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि फोरम ने अधिनियम/नियम/विनियम/टैरिफ आदेशों/आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत किया है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उठाई गई आपत्तियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उचित नहीं माना है तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिसंगत कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया है । दिनांक 17.04.13 को आयोग द्वारा ऐसा निर्देश दिए जाने के बाद भी इस संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के निर्देश के अनुसरण में कार्यवाही किए जाने की जानकारी अभ्यावेदन के सुनवाई के दौरान आज तक नहीं दी गई है, परन्तु उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में विद्युत लोकपाल द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है उस आदेश का कोई विपरीत प्रभाव विद्युत नियामक आयोग के उक्त निर्देश को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियामक आयोग को समय–समय पर विद्युत अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार है ।

: निष्कर्ष :

28. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को जारी किया गया विवादित देयक विधिसंगत होना नहीं पाया जाता है, अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उक्त विवादित देयक में वर्णित राशि उपभोक्ता से वसूल पाने के अधिकारी नहीं हैं । इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता द्वारा जो भी राशि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को अदा की गई हो उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को

है। अतः उपभोक्ता द्वारा ऐसी जमा की गई राशि को 3 माह के अन्दर उसें वापस किया जावे अथवा उपभोक्ता को दिए जाने वाले विद्युत देयकों में उक्त राशि का समायोजन किया जावे ।

29. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल